(ग) वर्तमान समय में, नेपा लिमिटेड को अपने उत्पाद बेचने में कोई कठिनाई नहीं है, अतः भंडार को निपटाने के लिये विशेष उपायों की आवश्यकता नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां। नेपा लिमिटेड में, एक दीर्घावधिक उपाय के रूप में तकनीकी उन्नयन हेतु सरकार ने कम्पनी में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिये प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

विदेशी उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति

1572. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उदार औद्योगिक नीति अपनाने के बाद अब तक कितने विदेशी उद्योगपतियों ने भारत में उद्योग स्थापित करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) उनके द्वारा अब तक कितने और किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये गये हैं ;

(ग) उनमें कितनी धनराशि का निवेश किया जायेगा और उनसे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ; और

(घ) इस संबंध में राज्यवार आंकड़े क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नयी औद्योगिक नीति अपनाये जाने के बाद अर्थात 1-8-1991 से 31-1-1995 तक की अवधि में भारत में परियोजनायें स्थापित करने के लिये 2837 प्रस्ताव जिनमें विदेशी निवेश अन्तर्ग्रस्त है, प्राप्त हुये हैं और अनुमोदित किये गये हैं।

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रों में अनुमोदनों की संख्या और पूर्वानुमानित निवेश के आंकड़े विवरण में दर्शाये गये हैं। **(नीचे देखिए)**

रोजगार सृजन संबंधी आंकड़े, विशेषतया विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संदर्भ में, नहीं रखे जाते हैं। रोजगार का संबंध औद्योगिक अनुमोदनों से है अर्थात आशय पत्र (लाइसेंसीकृत क्षेत्रों के लिये) और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (लाइसेंसमुक्त क्षेत्रों के लिये)। ऐसे अनुमोदनों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली परियोजनायें शामिल हैं। इसलिये, आशय पत्रों/औ.उ. ज्ञापनों में दी गई रोजगार संबंधी पूर्वानुमान सरकार की नयी औद्योगिक नीति 1991 के फलस्वरूप संभावित रोजगार सृजित करने के द्योतक है। नयी नीति के बाद की अवधि में अर्थात 1-8-91 से 31-1-95 तक 17668 औ.उ. ज्ञापन दायर किये गये जिनमें 33,22,455 व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसरों की परिकल्पना है। इसी अवधि के दौरान 1918 आशय-पत्र जारी किये गये जिनमें 366850 व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसरों की परिकल्पना की गयी है।

अब तक वास्तव में स्थापित किये गये उद्योगों की संख्या के बारे में आंकड़े केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं।

(घ) 1993 से 1995 (जनवरी, तक) तक के अनुमोदनों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II दिये गये हैं। (नीचे देखिये)। 1993 से पहले के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

विवरण-I

नवीं नीति की अवधि में (अर्थात् 1-8-91 से 31-1-95 तक) अनुमोदित विदेशी सहयोग के मामलों के उद्योगवार ब्यौरे ।

(रु० करोड़ में)

क्र. सं.	उद्योग का नाम	वित्तीय अनुदानों की संख्या	कुल राशि
1	2	3	4
1.	धातुकर्मी उद्योग		
	लौह	48	2887.71
	अलौह	28	762.10
	विशेष मिश्रधातु	12	23.72
	विविध (अन्य मद) धातुकर्मी	5	43.51
	योग	93	3717.04
2.	इंधन		
	बिजली	11	3196.57
	तेलशोध शाला	38	3059.14
	अन्य (इंधन)	25	573.84
	योग	74	6829.55
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	13	67.60
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत के अलावा)	3	2.54
5.	विद्युत उपकरण		
	विद्युत उपकरण	212	793.04
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग	192	734.57
	इलेक्ट्रानिक्स	84	387.29
	अन्य (एस./डब्लू.)	9	6.81
	योग	497	1921.71
6.	दूरसंचार	33	208.85
7.	परिवहन उद्योग		
	आटोमोबाइल उद्योग	57	613.70
	वायुयान/समुद्री परिवहन	28	1047.80
	अन्य (परिवहन)	6	23.47
	योग	91	1684.97

1	2	3	4
8.	औद्योगिक मशीनरी	174	856.82
9.	मशीनी औजार	31	40.73
10.	कृषि मशीनरी	4	161.35
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	11	12.97
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	101	140.90
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	17	81.57
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	15	18.48
15.	औद्योगिक उपकरण	27	19.44
16.	वैज्ञानिक उपकरण	17	35.96
17.	उर्वरक	3	3.64
18.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	260	2401.31
19.	फोटोग्राफिक रा फिल्म तथा पेपर	4	20.63
20.	रंजक सामग्री	5	5.96
21.	औषध तथा भेषज	53	229.88
22.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित सहित)	148	1237.17
23.	कागज तथा लुग्दी कागज उत्पाद सहित	26	392.44
24.	चीनी	2	53.50
25.	फर्मेन्टेशन उद्योग	22	207.89
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
	खाद्य उत्पाद	195	1933.80
	मेराइन उत्पाद	63	78.84
	विविध (खाद्य उत्पाद)	2	8.00
	योग	260	2020.64
27.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	18	28.88
28.	साबुन कासमेटिक तथा टायलेट प्रिपरेशन	12	43.96
29.	रबड़ की वस्तुएं	28	96,21
30.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	65	73.67
31.	कांच	13	180.83
32.	रिफ्रेक्टरीज	64	293.61
33.	सीमेंट तथा जिपसम उत्पाद	17	380.98
34.	टिम्बर उत्पाद	1	0.11
35.	सुरक्षा उपाय	0	0.00
36.	परामर्शदायी सेवाए		
	डिजाइन तथा इंजीनियरी सेवाएं	47	21.78
	अन्य सेवायें	11	9.24

1	2	3	4
	विपणन	10	2.61
	निर्माण	3	4.25
	अन्य (परामर्शी सेवाएं)	3	4.04
	योग	74	41.92
37.	सेवा क्षेत्र		
	वित्तीय	64	1488.70
	गैर वित्तीय सेवाएं	105	862.87
	बैंकिंग सेवाएं	6	82.33
	अन्य सेवाएं	6	13.11
	योग	181	2447.01
38.	होटल तथा पर्यटन		
	होटल तथा रेस्तरां	50	1109.26
	पर्यटन	14	1.67
	योग	64	1110.93
39.	ट्रेडिंग कम्पनी	120	67.86
40.	विविध उद्योग		
	बागवानी	11	12.56
	कृषि	21	24.20
	पुष्प खेती	32	32.32
	अन्य (विविध उद्योग)	132	720.57
	योग	196	789.65
	कुल :	2837	27929.16

विवरण–II

1–1–1993 से 31–1–1995 तक की अवधि में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	अनुमोदित निवेश (रुपये करोड़ में)
महाराष्ट्र	5430.78
पश्चिम बंगाल	2925.75
दिल्ली	2624.37
गुजरात	1773.99
तमिलनाडु	1369.77
आंध्र प्रदेश	1116.84
मध्य प्रदेश	913.14
उड़ीसा	814.09
कर्नाटक	523.06
पंजाब	501.28
राजस्थान	335.01
हरियाणा	317.39
उत्तर प्रदेश	133.92
पांडिचेरी	113.40
गोवा	82.06
चंडीगढ़	71.86
बिहार	70.97
दादर और नागर हवेली	36.24
केरल	35.43
हिमाचल प्रदेश	13.96
अरुणाचल प्रदेश	11.06
दमन और दीव	8.48
अंडमान और निकोबार	0.96
असम	0.92
त्रिपुरा	0.68
अन्य (राज्य नहीं दर्शाये गये)	4383.96
योग :	23606.36

देश में चीनी मिलें

1573. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान चीनी मिलों की कुल संख्या क्या है और उनमें से कितनी चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में हैं तथा कितनी चीनी मिलें गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश में अनेक चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं और वे अपने श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या राज्यवार क्या है ;

(घ) क्या सरकार घाटे में चल रही चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 31–1–1995 की स्थिति के अनुसार खाद्य मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में 435 चीनी के कारखाने अधिष्ठापित थे । जिनमें से 69 चीनी की मिलें सरकारी क्षेत्रों में, 122 निजी क्षेत्रों में तथा 244 सहकारी क्षेत्रों में थीं ।

(ख) और (ग) चीनी की मिलों के बारे में लाभ तथा घाटे का लेखा सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है ।

(घ) और (ङ) चीनी मिलों को पुनर्वास/आधुनिकीकरण के लिये उनको अपनी योजनायें तैयार करनी होती हैं । और उन्हें संबंधित संस्थानों द्वारा स्वीकृत कराना होता है । इस प्रकार के पुनर्वास/आधुनिकीकरण के लिए शर्तों को पूरा करने पर चीनी विकास निधि (एस डी एफ) से भी रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता मिलती है ।